प्रेस विज्ञप्ति
30-01-2026

ईडी ने मेसर्स जगदंबा एएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में बैंकों को लगभग 45 करोड़ रुपये की कराई वापसी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने तीन कुर्क की गई संपत्तियों के बदले केनरा बैंक के पक्ष में लगभग 45 करोड़ रुपये के उचित बाजार मूल्य की संपत्तियों की बहाली करवाई है।

यह मुआवजा सुश्री जगदंबा एएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसमें सीबीआई, बीएस एंड एफसी, नई दिल्ली ने केनरा बैंक को धोखा देने और धोखाधड़ी करने के लिए एमएस जेएएमडब्ल्यू, उसके निदेशक पुष्पेंद्र सिंह, उनके परिवार के सदस्यों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 और आईपीसी, 1860 की धारा 120बी के साथ धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया था, जिससे लगभग 18.32 करोड़ रुपये (उपार्जित ब्याज को छोड़कर) का गलत नुकसान हुआ था।

ईडी की जांच में पता चला कि सुश्री जगदंबा एएमडब्ल्यू ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक और मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र सिंह ने अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके और वाहनों की डिलीवरी न करके कई वाहन ऋण धोखाधड़ी से प्राप्त किए। इस प्रकार प्राप्त ऋण राशि को उन्होंने अपने अन्य व्यवसायों में, अपने परिवार के सदस्यों के खातों में, अपने निजी लाभ के लिए और दूसरों को देय बकाया चुकाने के लिए इस्तेमाल किया। अंततः, उसने फर्जी उधारकर्ताओं के नाम पर लिए गए ऋण की राशि को अपने निजी लाभ के लिए हड़प लिया, जिससे जबलपुर स्थित केनरा बैंक को नुकसान हुआ। ईडी की अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी द्वारा अर्जित अपराध की धनराशि 18.32 करोड़ रुपये है।

ईडी, भोपाल ने इससे पहले पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी पुष्पेंद्र सिंह और अन्य की अचल और चल संपत्तियों (5.32 करोड़ रुपये) को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था, जिसकी पुष्टि माननीय न्यायनिर्णय प्राधिकरण ने कर दी थी। इसके बाद, 13.03.2024 को अभियोजन शिकायत दर्ज की गई और माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) जबलपुर ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोप तय किए।

कैनरा बैंक ने पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की बहाली के लिए 09.01.2025 को एक आवेदन दायर किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जबलपुर ने 29.01.2026 को एक आदेश पारित कर पीड़ित बैंक के पक्ष में संपत्तियों (जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपये है) की वापसी का निर्देश दिया।